न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ0 भंवरलाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना–पत्र (ट्रांसफर) संख्याः 35 / 2024

दायर दिनांकः 15.07.2024

आदेश दिनांक 28.08.2024

–: अनवान :–

श्रीमति अनिता उम्र 23 साल पुत्री श्री नेमीचन्द पत्नि श्री देवेन्द्रकुमार जाति रेगर निवासी सडक का बाडिया, मियाला पुलिस थाना देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमंद हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी, ग्राम सूरजपुरा पुलिस थाना जवाजा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

— प्रार्थीया

बनाम

1. श्री देवेन्द्रकुमार वयस्क पुत्र श्री किस्तूरचन्द जाति रेगर निवासी सडक का बाडिया, मियाला पुलिस थाना देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमंद (राज.)
2 अनिता वयस्क पुत्री श्री किस्तूरचन्द
3 ममता वयस्क पुत्री श्री किस्तूरचन्द
4 श्रीमति चम्पादेवी वयस्क पत्नि श्री किस्तूरचन्द
5 श्री ओमप्रकाश वयस्क पुत्र श्री चांदमल
6 श्री दिनेश वयस्क पुत्र श्री चांदमल
7 श्री मदनलाल वयस्क पुत्र श्री चांदमल
8 श्रीमति राधा वयस्क पत्नि श्री चांदमल
9 मंजू वयस्क पुत्री श्री चांदमल
10 कमला वयस्क पुत्री श्री नीम्बा
11 श्री छगनलाल वयस्क पुत्र श्री नीम्बा
12 श्री शंकरलाल वयस्क पुत्र श्री नीम्बा
13 राधा वयस्क पुत्री श्री नीम्बा
14 शांता वयस्क पुत्री श्री नीम्बा
15 श्री आईदान वयस्क पुत्र श्री जीवनराम
समस्त जाति रेगर निवासी सडक का बाडिया, मियाला पुलिस थाना देवगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
16 श्री दिनेशकुमार वयस्क पुत्र श्री करमाराम जाति सालवी निवासी मकान नंबर 00, कॉलोनी ओटा बरार, एरिया ओटा बरार सिटी भीम जिला राजसमंद (राज.)
17. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, देवगढ़ (राज.)
18. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय, देवगढ़ (राज.)
19. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, राजसमंद (राज.)

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1– श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ एक राजस्व वाद एवं उसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अजनाम श्रीमति अनिता बनाम श्री देवेन्द्र कुमार व अन्य के नाम से न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर महोदय, देवगढ़ में प्रस्तुत कर रखा है. जिसमें गत तारीख पेशी दिनांक 02/04/2024 नियत थी तथा उसके पश्चात प्रकरण में कोई आगामी तारीख पेशी प्रदान नहीं की गई है। उक्त प्रकरण सन 2024 में प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है तथा निषेधाज्ञा से संबंधित है, जो कि तुरन्त ही प्रदत्त योग्य है। उसके अभाव में मौके पर अकारण ही वाद विवाद बढ़ रहा है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमियों की एवं अपने हक अधिकारों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। उक्त प्रकरण करीब डेढ वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। किंतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर महोदय, देवगढ द्वारा उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक स्टेज पर अतिआवश्यक होने से स्थगन आदेश जारी किया गया था। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया तथा नये पीठासीन अधिकारी, उक्त पद पर पदासीन हो गये। वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण को डेढ वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आज दिवस तक उक्त प्रकरण में किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण को प्रारम्भिक स्तर पर किसी भी अप्रार्थीगण की आपत्ति के बिना अपने स्तर पर ही उक्त प्रकरण को खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस हेतु गत तारीख पेशी दिनांक 02/04/2024 को अपने चैम्बर में ही रख रखा है तथा उसमें किसी तरह की कोई तारीख ही नहीं दी जा रही है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में वर्तमान पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीया को न्याय मिलने की कत्तई कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को गलत रूप से खारिज करने पर उतारू चले आ रहे हैं। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में अब उक्त प्रकरण को देवगढ़ राजस्व न्यायालय से राजसमंद जिले के किसी अन्य राजस्व न्यायालय को स्थांनांतरित करवाया जाकर सुनवाई करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया के प्रकरण को देवगढ़ राजस्व न्यायालय से राजसमंद जिले के किसी अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से टिप्पणी मंगवाई गई।

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से दिनांक 29.07.2024 को प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार हाजा न्यायालय में अनवान अनिता बनाम देवेन्द्र व अन्य रे वाद 41/2023 व प्रार्थना पत्र 31/2023 दिनांक 31.03.2023 को दर्ज रजिस्टर्ड किये गए। प्रार्थना पत्र 31/2023 में प्रार्थिया अधिवक्ता को उसी दिन सुना जाकर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय जारी की गई। आगामी दिनांक 29/08/2023 को प्रार्थना पत्र 31/2023 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब पेश किया। अन्य की तलबी हेतु प्रार्थिया अधिवक्ता सम्मन पेश करने थे। उक्त दोनों प्रकरणों में सुनवाई नियमित रूप से की जा रही है। प्रार्थिया मय अधिवक्ता तारीख पेशी दिनांक 02.04.2024, 21.06.2024 एवं 23.07.2024 को अनुपस्थित रहे हैं। रे.वाद एवं प्रार्थना–पत्र

दोनों प्रकरणों में तलबी शेष है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अंतरिम निषेधाज्ञा पर बहस की एवं अपास्त करने का निवेदन किया। प्रार्थिया मय अधिवक्ता बार–बार अनुपस्थित थे। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर आदेश 39 नियम 03 की पालना नहीं कर रहे है तथा प्रभावी पैरवी नहीं कर रहे है। दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थिया अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु प्रार्थिया एवं प्रार्थिया अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थिया एवं प्रार्थिया अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने से प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया गया है। प्रार्थिया एवं प्रार्थिया अधिवक्ता शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी सम्मन पेश नहीं किये गए हैं। उक्त दोनों प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक 12.08.2024 को तलबी एवं जवाब हेतु नियत है। अतः श्रीमान् की सेवा में उक्त मामले में टिप्पणी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

प्रार्थीया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ एक राजस्व वाद एवं उसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अजनाम श्रीमति अनिता बनाम श्री देवेन्द्र कुमार व अन्य के नाम से न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर महोदय, देवगढ़ में प्रस्तुत कर रखा है. जिसमें गत तारीख पेशी दिनांक 02/04/2024 नियत थी तथा उसके पश्चात प्रकरण में कोई आगामी तारीख पेशी प्रदान नहीं की गई है। उक्त प्रकरण सन 2024 में प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है तथा निषेधाज्ञा से संबंधित है, जो कि तुरन्त ही प्रदत्त योग्य है। उसके अभाव में मौके पर अकारण ही वाद विवाद बढ़ रहा है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमियों की एवं अपने हक अधिकारों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। उक्त प्रकरण करीब डेढ वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। किंतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर महोदय, देवगढ द्वारा उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक स्टेज पर अतिआवश्यक होने से स्थगन आदेश जारी किया गया था। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया तथा नये पीठासीन अधिकारी, उक्त पद पर पदासीन हो गये। वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण को डेढ वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आज दिवस तक उक्त प्रकरण में किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण को प्रारम्भिक स्तर पर किसी भी अप्रार्थीगण की आपत्ति के बिना अपने स्तर पर ही उक्त प्रकरण को खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस हेतु गत तारीख पेशी दिनांक 02/04/2024 को अपने चैम्बर में ही रख रखा है तथा उसमें किसी तरह की कोई तारीख ही नहीं दी जा रही है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में वर्तमान पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीया को न्याय मिलने की कत्तई कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को गलत रूप से खारिज करने पर उतारू चले आ रहे हैं। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में अब उक्त प्रकरण को देवगढ़ राजस्व न्यायालय से राजसमंद जिले के किसी अन्य राजस्व न्यायालय को स्थांनांतरित करवाया जाकर सुनवाई करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया के प्रकरण को देवगढ़ राजस्व न्यायालय से राजसमंद जिले के किसी अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन करते हुए प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से उपखण्ड अधिकारी भीम में स्थानान्तरीत किया जाना न्यायोचित प्रतित होने से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से उपखण्ड अधिकारी भीम स्थानान्तरीत किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से उपखण्ड अधिकारी भीम में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजावें। तथा उपखण्ड अधिकारी भीम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण को आपके न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी भीम को प्रेषित करे।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
राजसमंद